

## न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी- रघुनाथ, आर0ए0एस0

1- मुकदमा संख्या 52/2018 तारीख रजु 11-11-18. कि0मु0 दर0212आटीएक्ट  
उनवान

1- श्रीमति नीमल सिंह पत्नि आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी करमोदा तहसील व  
जिला सवाई माधोपुर -प्रार्थीया

1- श्रीमति सायरकवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कुशतला तहसील व  
जिला स0मा0 बनान

2-राजेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी कुशतला तहसील व जिला स0म

3-फरीदाबानो पत्नि सदरुद्धीन खां जाति मुसलमान नि0 पचीपल्या तह0वजिला सम

4-रफीसन पत्नि अजरुद्धीन जाति मुसलमान नि0पचीपल्या स0मा0

5-सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

-अप्रार्थीगण

2-मुकदमा संख्या 53/18 ता0रजु 11-10-18

1- राजेन्द्रसिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत नि0कुशतला तह0 जिला स0मा0 -प्रार्थी  
बनाम

1-सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलेक्टर भूमि अवाप्ति अधिकारी(एनएच, 148एनः)  
सवाई माधोपुर

2-फरीदाबानो पत्नि सदरुद्धीन खां जाति मुसलमान

3-रफीसन पत्नि अजरुद्धीन जाति मुसलमान निवासीयान पचीपल्या तह0स0मा0

4-नीलमसिंह पत्नि आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी करमोदा तह0 स0मा0

5-सायरकवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कुशतला तह0स0मा0

6-तहसीलदार सवाई माधोपुर

प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

अभिभाषकगण

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, एडवोकेट- प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 4 नीलमसिंह

श्रीदाससिंह, एडवोकेट-अप्रार्थी सं08,2 एवं प्रार्थी सं01

श्री सत्येन्द्रगोयल, एडवोकेट-

श्री राधेश्याम वैष्णव, एडवोकेट-

उप जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

श्री

## निर्णय

दिनांक : 24-09-19

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 52/2018 एवं प्रकरण संख्या 53/2018 में प्रार्थीया नीलम सिंह ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कुशतला के खाता संख्या 529 में अंकित कृषि भूमि खसरा नंबर 251 रकबा 2.26 है, ख0नं0 252 रकबा 2.10 है, ख0नं0 255 रकबा 1.80 है, ख0नं0 257 रकबा 2.10 है, कुल किता 4 कुल रकबा 8.26 है कृषि भूमि राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 में प्रार्थीया एवं विपक्षी गणों के नाम से संयुक्त खातेदारी में 1/4 हिस्से के अनुसार दर्ज है, लेकिन पर भौतिक हाल ट्रेसशीट में अंकित खसरा नंबरों पर भौतिक कब्जा प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में अंकित विवरण के अनुसार है, वर्तमान में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 21-8-18 को राजस्थान पत्रिका में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के प्रार्थीया ने विपक्षीगणों से मुताबिक कब्जा तहसील से चल कर विभाजन करवाने के लिये कहा तो विपक्षीगणों द्वारा विभाजन करवाने से इंकार कर दिया जबकि प्रार्थीया ने सन् 2004 से ख0 नं0 255 में अमरूदों का बगीचा लगा रखा है एवं ख0 नं0 255 में से रकबा 1.08 है अवाप्त किया जा रहा है। इसलिये विपक्षीगण बिना भौतिक कब्जे के प्रार्थीया के कब्जे की भूमि का मुआवजा राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के कारण प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिये विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि राजस्व ग्राम कुशतला में स्थित प्रार्थी के भौतिक कब्जे काशत की भूमि ख0नं0 255 रकबा 1.80 है में रोड हेतु अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये नोटिस की जाकर विपक्षगणों द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी राजेन्द्रसिंह ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 2 के भौतिक कब्जे कि कृषि भूमि ख0नं0 257 व 255 में हौकर 6 लेन हेतु भूमि अवाप्ति की जा रही है एवं विक्रय पत्रों में खरीद शुदा भूमि का इन्द्राज है, इसलिये मुताबिक कब्जा प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में आपत्ति नहीं है। विपक्षी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी होना स्वीकार किया है, लेकिन विपक्षीगणों ने यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया है कि ट्रेसशीट में अंकित किस ख0नं0 पर भौतिक कब्जा है। इसी प्रकार विपक्ष संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी होना स्वीकार किया है।



(3)

जवाब के मद नंबर 2 में 205 रकबा 1.80 है 0 रोड अवाप्त होना दर्ज किया है , लेकिन जमाबंदी व प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 205 का अकन भी नहीं है , विपक्षी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि हाल ट्रेसशीट के अनुसार किस खसरा नंबर पर काबिज है एवं मुआवजा समान रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

इसी प्रकरण के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 53/2018 उनवानी राजेन्द्रसिंह बनाम सरकार वगैरहा का इसी विवाद से संबंधित होने के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी राजेन्द्र सिंह के भौतिक कब्जे कास्त की कृषि भूमि राजस्व ग्राम कुशतला के खाता संख्या 529 में स्थित ख0नं0 257 रकबा 2.10 है 0 पर भौतिक कब्जा होने के कारण विपक्षी संख्या 1 द्वारा एन0एच0 6 लेन के लिये ख0नं0 257 मे से रकबा 20.01 है 0 भूमि अवाप्त की जा रही है , विपक्षी सं0 1 मुताबिक कब्जा एवं ट्रेसशीट के अनुसार खसरा नंबर 257 का मुआवजा जमाबंदी में अंकित इन्द्राज के अनुसार अन्य सहखातेदारो को भी अदा करने पर आमादा होने पर प्रार्थी ने विपक्षीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विपक्षीगणो की तलबी जरिये नोटिस की गई , विपक्षी संख्या 1 व 6 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया , विपक्षी संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की होने के कारण मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होने के साथ साथ यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं किया कि मुताबिक ट्रेसशीट के विपक्षीगणो का किस खसरा नंबर पर भौतिक कब्जा है । विपक्षी संख्या 4 ने मुताबिक कब्जा प्रार्थी को मुआवजा अदा करने बाबत सहमति देने के साथ साथ अन्य विपक्षीगणो का कब्जा मुताबिक ट्रेसशीट के अनुसार है । इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति भी दी है । विपक्षी संख्या 5 ने मुताबिक जमाबंदी में दर्ज अभिलेख के अनुसार मुआवजा दिये जाने के साथ साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण संख्या 52/2018 एवं 53/2018 में मुख्य विवाद भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ट्रेसशीट के अनुसार भौतिक कब्जा के बजाय जमाबंदी में दर्ज सभी सहखातेदारो को रोड सीमा के लिये अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा देने से संबंधित विवाद होने के कारण उभय पक्षो के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का सूक्ष्मता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया । प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्रो का भी गहनता से अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत दलीलो पर मनन

(4)

जाने वाली कृषि भूमि ट्रेसशीट के अनुसार भौतिक कब्जे के अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण किस सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में सफल रहे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा करने के संबंध में उक्त तीनों बिन्दु भी बखुबी साबित होते है ।

**प्राईमाफेसी** - प्रार्थीया नीलमसिंह व राजेन्द्रसिंह का यह कथन रहा है कि मुताबिक ट्रेसशीट के अनुसार मोके पर खसरा नंबर 255 पर नीलम सिंह का एवं ख0नं0257 पर राजेन्द्रसिंह का कब्जा है । भारत के राजपत्र में प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार खसरा नंबर 255 रकबा 1.08है0 में से एवं ख0 नं0 257 रकबा 2.10है0 में से रकबा 2.01है0 भूमि अवाप्त की जा रही है । यह भूमि प्रार्थीगणों के भौतिक कब्जे की होने के साथ साथ मौके पर अमरूदो का बगीचा लगा हुआ है । जबकि विपक्षीगणों ने विवादित भूमि को संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार किया है ,लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि ट्रेसशीट के अनुसार किस खसरा नंबर पर काबिज है ,इसलिये प्राईमाफेसाई केस मुताबिक भौतिक कब्जा प्रार्थीगणों के पक्ष में पूर्णरूप से साबित होनेके कारण विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

**सुविधा का संतुलन** - प्रार्थीगणों का मुताबिक ट्रेसशीट खसरा नंबर 255, 257 पर भौतिक कब्जा होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अन्य सहखातेदारों को भुगतान किया जाता है तो प्रार्थीगणों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा इसलिये सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में बखुबी साबित होता है ।

**अपूर्णनीय क्षति** - प्रार्थीगणों के पक्ष में प्राईमाफेसी एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु पूर्ण रूप से साबित होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगणों के पक्ष में साबित होता है । क्योंकि विवादित भूमि खसरा नंबर 255 , 257 पर ट्रेसशीट के अनुसार प्रार्थीगणों का ही भौतिक कब्जा होने के साथ साथ मौके पर अमरूदो का बगीचा व तारों की फेंसिंग प्रार्थीगणों के भौतिक कब्जे को दर्शाने के कारण विपक्षीगणों द्वारा जमाबंदी में इन्द्राज होने के आधार पर रोड के लिये अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया जाता है तो प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति होने के कारण यह बिन्दु भी प्रार्थीगणों के पक्ष में बखुबी साबित होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया नीलमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 52/2018 एवं राजेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 53/2018 अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पत्र पाबन्द किया जाता है कि जब तक मुताबिक कब्जा वाके ग्राम कुशतला में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 529 में अंकित खसरा नंबर 251 रकबा 2.26है0 ,ख0नं0 252

खसरा नंबर 255 रकबा 1.80है0 ,ख0नं0 257 रकबा 2.10है0 ,कल कित्ता चार

(5)

रकवा 8.26 है० का विभाजन (तकासमा) विधिवत नहीं हो जावे तब तक खसरा नंबर 255, 257 में से सडक मार्ग हेतु अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का मुआवजा किसी भी सहखातेदार को अदा नहीं किया जावे । यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24-09-2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की एक प्रति अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति० जिला कलेक्टर) सवाई माधोपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे । निर्णय की एक-एक प्रति प्रकरण संख्या 52/2018 एवं प्रकरण संख्या 53/2018 में संलग्न की जावे ।



4  
(रघुनाथ)  
उप जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

